2022/230

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री कान्तिलाल उपाध्याय जाति उपाध्याय निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 28 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.05.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 28.02.2022 एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया गया कि श्री विरेन्द्रदत्त त्रिवेदी शारीरिक शिक्षक रा.उ.मा.वि. चन्द्रावती आबूरोड को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधि. 2009 की धारा 27 का उल्लघंन कर इन्हें उपखण्ड कार्यालय आबूरोड में किस पद पर एवं किस आदेश के तहत प्रतिनियुक्ति दी गई है एवं किन आदेशों के तहत कार्यालय पंचायत समिति आबूरोड की साधारण बैंठकों में उपस्थिति दी एवं फरवरी 2022 में आबूरोड न्यायालय में भेजा गया, उक्त समस्त आदेशों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 28.02.2022 एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया गया कि श्री विरेन्द्रदत्त त्रिवेदी शारीरिक शिक्षक रा.उ.मा.वि. चन्द्रावती आबूरोड को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधि. 2009 की धारा 27 का उल्लघंन कर इन्हें उपखण्ड कार्यालय आबूरोड में किस पद पर एवं किस आदेश के तहत प्रतिनियुक्ति दी गई है एवं किन आदेशों के तहत इनके द्वारा कार्यालय पंचायत समिति आबूरोड की साधारण बैंठकों में उपस्थिति दी एवं फरवरी 2022 में आबूरोड न्यायालय में भेजा गया, उक्त समस्त आदेशों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की [illegible] की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधि[illegible] कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार [illegible] करावे । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पा[illegible]कर अपीलांट को सूचित क[illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । Bhl/10 (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:13:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner